ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

कार्यालय–आदेश

CWJC No. 7084/2024 में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दिये गये आदेश दिनांक 03.05.2024 के आलोक में सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1810 दिनांक 03.05.2024 के आलोक में विभिन्न विषयों पर दिनांक 06.05.2024 को होटल मौर्या, गाँधी मैदान, पटना के कौटिल्य हॉल में 11:00 बजे पूर्वाहन् में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित है। उक्त बैठक कें एजेंडा से संबंधित डाटा तैयार करने हेतु दिनांक 05.05.2024 (रविवार) को अनिवार्य रूप से पूर्वाहन् 10:00 बजे से विश्वविद्यालय के बजट शाखा, वित्त शाखा, विधि कोषांग, वित्तीय परामर्शी कार्यालय, छात्र कल्याण विभाग, महाविद्यालय निरीक्षक शाखा, परीक्षा विभाग खुले रहेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगें ताकि उक्त पत्र में वर्णित एजेंडा के अनुसार विषय सामग्री तैयार की जा सके। इसके अतिरिक्त निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, पेंशन पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, उप कुलसचिव (प्रथम) एवं उप कुलसचिव (द्वितीय) भी अपने कक्ष में उपस्थित रहेगें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से

ह0/–

(डॉ0 अजय कुमार पंडित)

कुलसचिव

ज्ञापांक C/R/9885-9901/24 **दिनांक** 04/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. **संबंधित विभाग के पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
3. **प्रभारी पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर सूचना अपलोड करने हेतु।
4. **समन्वयक, मीडिया सेल,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
5. **माननीय कुलपति महोदय के सचिव/कुलसचिव महोदय के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

04/05/2024

कुलसचिव